भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3164

उत्तर देने की तारीख : 21.12.2023

बंद पड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का पुनरुत्थान

3164. **श्री नामा नागेश्वर राव** :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बंद हुए हैं;

(ख) सूक्ष्म उद्यमों के बंद होने का मुख्य कारण क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन बंद पड़ी इकाइयों के पुनरुत्थान हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) विगत पांच वर्षों को दौरान राज्य-वार कितने नये सूक्ष्म और लघु उद्यम स्थापित हुए?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ग): उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार दिनांक 15.12.2023 तक की स्थिति के अनुसार देश में दिनांक 01.07.2020 से 15.12.2023 तक व्यवसाय के बंद होने के कारण एमएसएमई जिन्होंने अपने उद्यम पंजीकरण रद्द किए हैं 32,754 हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

उद्यम पंजीकरण के रद्द होने के बहुमुखी कारणों में व्यवसाय के बंद होने के अतिरिक्त स्थान परिवर्तन, और व्यवसाय में बदलाब शामिल हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई को क्रेडिट सहायता, नए उद्यम विकास, औपचारिकरण, प्रौद्योगिकी सहायता, अवसंरचना विकास, कौशल विकास तथा प्रशिक्षण और बाजार सहायता के क्षेत्रों में देश में एमएसएमई क्षेत्र की सहायता और विकास के उद्देश्य से विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में एमएसएमई चैंपियंस स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) और एमएसएमई के संवृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं। उनमें से कुछ हैं:

i. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के ऋण के लिए 85% तक की गारंटी कवरेज सहित एमएसएमई को अधिकतम 500 लाख रुपए (01.04.23 से प्रभावी) तक की सीमा के लिए कोलेटरल मुक्त ऋण।

ii. आत्म निर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन। इस स्कीम में भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए के कोष के लिए प्रावधान है।

iii. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।

iv. व्यवसाय की सुगमता के लिए "उद्यम पंजीकरण" के माध्यम से एमएसएमई का नया पंजीकरण।

v. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।

vi. दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।

vii. एमएसएमई की स्थिति में उर्ध्वगामी परिवर्तन के मामले में 3 वर्षों के लिए कर-विहीनता का लाभ विस्तारित किया गया है।

viii. अगले 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में संवृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प) कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

ix. उद्यम पोर्टल और श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) का एकीकरण, जिसके परिणामस्वरूप पंजीकृत एमएसएमई एनसीएस पर रोजगार चाहने वालों की खोज कर सकें।

x. विवाद से विश्वास-I के तहत, एमएसएमई को काटी गई कार्यनिष्पादन सिक्योरिटी, निविदा सिक्योरिटी और परिसमापन क्षति के 95% की वापसी के माध्यम से राहत प्रदान की गई थी। अनुबंधों के निष्पादन में चूक के कारण वंचित एमएसएमई को भी राहत प्रदान की गई।

xi. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण (पीएसएल) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की गई है।

xii. 18 व्यापारों में कार्यरत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम की शुरुआत की गई है।

(घ): उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार दिनांक 15.12.20203 तक की स्थिति के अनुसार विगत पांच वर्षों के दौरान देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या जो उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर निगमित और पंजीकृत हैं 1,21,11,249 हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-II के रूप में संलग्न है।

******

अनुबंध- I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3164 जिसका उत्तर दिनांक 21.12.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 01.07.2020 से 15.12.2023 तक एमएसएमई की कुल संख्या जिन्होंने बंद होने के कारण अपने पंजीकरण रद्द किए हैं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21*	2021-22	2022-23	2023-24#
1	आंध्र प्रदेश	-	113	261	323
2	अरुणाचल प्रदेश	-	0	1	1
3	असम	-	8	28	37
4	बिहार	18	541	547	354
5	छत्तीसगढ	4	64	134	158
6	गोवा	3	5	17	26
7	गुजरात	67	492	1,074	1,235
8	हरियाणा	16	151	404	511
9	हिमाचल प्रदेश	2	8	86	32
10	झारखंड	-	134	251	249
11	कर्नाटक	4	272	534	614
12	केरल	2	137	339	378
13	मध्य प्रदेश	1	112	548	425
14	महाराष्ट्र	3	1831	3,276	3,245
15	मणिपुर	-	0	62	23
16	मेघालय	-	1	1	1
17	मिजोरम	-	1	2	1
18	नागालैंड	-	1	5	4
19	ओडिशा	1	118	212	230
20	पंजाब	-	208	88	45
21	राजस्थान	11	312	1,068	1,050
22	सिक्किम	-	0	1	-
23	तमिलनाडु	2	591	1,900	1,767
24	तेलंगाना	2	128	102	171
25	त्रिपुरा	-	8	6	-
26	उत्तर प्रदेश	20	494	1,110	1,189
27	उत्तराखंड	1	32	202	153
28	पश्चिम बंगाल	17	153	363	414
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	9	12	16
30	चंडीगढ़	1	21	8	11
31	दिल्ली	-	210	470	186
32	जम्मू और कश्मीर	-	51	121	166
33	लद्दाख	-	1	2	1
34	लक्षद्वीप	-	0	-	-
35	पुडुचेरी	-	8	39	48
36	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	-	7	16	3
कुल		175	6,222	13,290	13,067

**दिनांक 01.07.2020 को शुरुआत के बाद से # दिनांक 15.12.2023 तक*

अनुबंध- II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3164 जिसका उत्तर दिनांक 21.12.2023 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या जो उद्यम पंजीकरण पर निगमित और पंजीकृत हुए हैं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22	
		सूक्ष्म	लघु	सूक्ष्म	लघु	सूक्ष्म	लघु
1	आंध्र प्रदेश	62717	1363	74039	1216	84025	633
2	अरुणाचल प्रदेश	859	24	1216	25	1539	16
3	असम	36855	410	36796	319	44119	215
4	बिहार	83236	733	112408	642	148840	617
5	छत्तीसगढ	26368	572	32357	515	37421	282
6	गोवा	3635	47	5900	47	4392	28
7	गुजरात	113884	4292	149168	3932	149449	1489
8	हरियाणा	58614	1680	83880	1535	93461	788
9	हिमाचल प्रदेश	9215	153	13711	157	18316	110
10	झारखंड	35630	369	44392	354	48545	214
11	कर्नाटक	102464	1872	133434	1737	161353	991
12	केरल	33749	813	56269	657	67456	361
13	मध्य प्रदेश	80971	1276	111762	1380	139934	1041
14	महाराष्ट्र	326843	4305	489469	3867	496730	2223
15	मणिपुर	7612	40	9574	34	8637	21
16	मेघालय	1282	18	1606	11	2163	10
17	मिजोरम	1993	8	2372	16	2768	11
18	नागालैंड	1486	20	2004	9	2916	11
19	ओडिशा	44895	597	56630	596	58983	405
20	पंजाब	69131	1054	82197	989	80261	470
21	राजस्थान	121365	1852	182322	2093	189703	1043
22	सिक्किम	711	7	752	6	1218	6
23	तमिलनाडु	183182	2325	260106	2347	275644	1188
24	तेलंगाना	68646	1256	89754	1297	97137	726
25	त्रिपुरा	4126	44	4805	46	6482	48
26	उत्तर प्रदेश	167858	2545	239498	2707	274244	1745
27	उत्तराखंड	16558	295	24740	228	29191	153
28	पश्चिम बंगाल	71256	1220	76960	927	88896	634
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	740	8	1182	10	1473	6
30	चंडीगढ़	2437	51	3126	51	3695	19
31	दिल्ली	38452	1594	55138	1421	61278	657
32	जम्मू और कश्मीर	27099	224	37350	239	54780	174
33	लद्दाख	851	16	1190	4	1518	5
34	लक्षद्वीप	58	0	100	0	125	0
35	पुडुचेरी	2771	36	3945	38	3879	24
36	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1159	54	1621	42	1685	23
कुल		1808708	31173	2481773	29494	2742256	16387

सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या जो उद्यम पंजीकरण पर निगमित और पंजीकृत हुए हैं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23		2023-24*	
		सूक्ष्म	लघु	सूक्ष्म	लघु
1	आंध्र प्रदेश	97488	497	59538	200
2	अरुणाचल प्रदेश	1937	7	1160	6
3	असम	57081	148	38830	64
4	बिहार	147222	546	89250	230
5	छत्तीसगढ	43248	166	25645	71
6	गोवा	5627	18	3281	10
7	गुजरात	160757	513	94608	257
8	हरियाणा	101872	318	59876	164
9	हिमाचल प्रदेश	22717	78	16264	42
10	झारखंड	55554	144	27651	68
11	कर्नाटक	168486	624	96877	276
12	केरल	105147	244	66590	96
13	मध्य प्रदेश	171244	648	107203	262
14	महाराष्ट्र	482432	1187	268461	554
15	मणिपुर	8014	8	3840	6
16	मेघालय	3159	11	2538	6
17	मिजोरम	3783	9	2395	13
18	नागालैंड	4278	6	3911	5
19	ओडिशा	59977	238	33079	107
20	पंजाब	77921	183	46662	138
21	राजस्थान	220830	504	134212	252
22	सिक्किम	1785	5	1307	2
23	तमिलनाडु	295509	730	174890	359
24	तेलंगाना	106914	458	75122	281
25	त्रिपुरा	8884	33	6147	22
26	उत्तर प्रदेश	333010	1171	295473	855
27	उत्तराखंड	36794	85	23198	54
28	पश्चिम बंगाल	105154	475	83509	221
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1991	5	1314	1
30	चंडीगढ़	3887	13	2420	4
31	दिल्ली	71450	332	42574	178
32	जम्मू और कश्मीर	67872	135	54946	98
33	लद्दाख	1917	6	899	5
34	लक्षद्वीप	101	0	52	0
35	पुडुचेरी	4004	11	2594	5
36	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1575	10	1038	5
कुल		3039621	9566	1947354	4917

 # दिनांक 15.12.2023